21 दिसंबर 2019

नई दिल्ली में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में जारी बयान, विभिन्न सामाजिक संगठनों, राजनीतिक दलों और सामाजिक कार्यकर्ता समूहों से जुड़े प्रतिनिधियों ने लिया भाग

नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शनः
बीजेपी शासित राज्यों में पुलिस के अत्याचार को रोकने की मांग;
सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप की अपील

देश के कोने–कोने में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों में अवाम की हिस्सेदारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इस असंवैधानिक कानून के खिलाफ जनता विभिन्न तरीकों से अपना विरोध दर्ज कर रही है। देखा जा रहा है कि बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरकर प्रदर्शनों में हिस्सा ले रहे हैं और उनके नेता लॉ एंड ऑर्डर को बनाए रखने में अधिकारियों के साथ हर तरह का सहयोग कर रहे हैं। बीजेपी शासित कुछ राज्यों को छोड़कर, सभी राज्यों में बिल्कुल शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों को हिंसा का रूप देने की ज़िम्मेदार केवल वहां की राज्य सरकारें हैं, क्योंकि किसी भी गैर–बीजेपी शासित राज्य से किसी अशुभ घटना की ख़बर नहीं मिली है। हालांकि वहां भी प्रदर्शन पुरज़ोर तरीके से हो रहे हैं।

विभिन्न बीजेपी शासित राज्यों से आने वाली ख़बरों से पता चलता है कि उन्होंने पुलिस की बर्बरता का इस्तेमाल करके शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने का फैसला कर लिया है। विभिन्न राज्यों में दहशत का माहौल है, कर्फ़्यू लगाया गया है, छापेमारी हो रही है और स्थानीय नेताओं व सामाजिक कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस आरएसएस–बीजेपी के एजेंटों के साथ मिलकर तनावपूर्ण माहौल बनाती है, बिना किसी कारण प्रदर्शनकारियों को पीटती है, यहां तक कि भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां बरसाती है। लोकतांत्रिक प्रदर्शनों को दबाने का बीजेपी शासित राज्य सरकारों का हिंसक नज़रिया इस हकीकत को बयान करता है कि वे मोदी–शाह सरकार और आरएसएस–बीजेपी नेतृत्व के फैसलों को लागू करने में लगी हैं।

देश की राजधानी में जो कुछ हो रहा है वह सबके सामने है, लेकिन अन्य कई राज्यों में हुई कई दमनकारी घटनाओं की सच्चाई इंटरनेट आदि सुविधाएं बंद होने के कारण मीडिया तक नहीं पहुंच पा रही है। उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और असम जैसे राज्यों में पुलिस की हिंसा की ख़बरें विभिन्न तरीकों से आ रही हैं। अब तक की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की फायरिंग से कम से कम 12 मौतें हो चुकी हैं। हमें यह भी ख़बर मिली है कि मेरठ में कम से कम 9 और कानपुर में 12 लोग फायरिंग की वजह से गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सरकारी तौर पर पुलिस की ओर से फायरिंग के इंकार के बरक्स, कई जगहों से ऐसी रिपोर्टें मिल रही हैं। केवल बिजनौर में लगभग 400 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मेरठ में 24 सामाजिक कार्यकर्ता कई दिनों से पुलिस की हिरासत में हैं। इसी तरह लखनऊ और बनारस जैसे शहरों में भी पुलिस द्वारा धरपकड़ और बड़े पैमाने पर लोगों की गिरफ्तारी की ख़बर आ रही है। यहां अन्य जगहों के विपरीत प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में लेने के बाद उन्हें अब तक रिहा भी नहीं किया गया है। कुछ जगहों पर हिंदुत्व सांप्रदायिक गुंडे भी पुलिस के साथ आज़ादी के साथ घूम रहे हैं और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं। इस तरह योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश को एक पुलिसिया राज्य में बदल दिया है।

कर्नाटक पुलिस ने तमाम सीमाओं को पार करते हुए, शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसके कारण बेंगलुरु के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। वहां पुलिस ने राजनीतिक इंतकाम दिखाते हुए, सैकड़ों मुस्लिम युवाओं को गैरकानूनी ढंग से हिरासत में ले लिया। असम में भी मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं को पुलिस ने खास तौर से निशाना बनाया है। जबकि प्रदर्शन में आसामी संजातीय समूहों का कोई लीड रोल नहीं रहा है। ठीक इसी तरह भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के बुलावे पर दिल्ली में

शुक्रवार के दिन होने वाला प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था, लेकिन एक सही और लोकतांत्रिक पुकार लगाने के कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया, जिस तरह पहले योगेंद्र यादव, डी. राजा, प्रशांत भूषण आदि जैसे नेताओं को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में ले लिया गया था।

हम बीजेपी की केंद्रीय एवं राज्य सरकारों की ऐसी तमाम दमनकारी कार्यवाहियों की निंदा करते हैं, जो कि अलोकतांत्रिक, गैरकानूनी और असंवैधानिक हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए जनता की उठती आवाज़ों को ऐसी कार्यवाहियों से कभी भी दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि यह आरएसएस और बीजेपी के विभाजनकारी एजेंडे के खिलाफ पूरे देश की प्रतिक्रिया है।

ऐसी स्थिति में हमारी निम्नलिखित मांगे हैं:

ऐसे समय में, जबकि जनता की बेचौनी और विरोध बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सुप्रीम कोर्ट और सभी संबंधी हाईकोर्ट को चाहिए कि वे तकनीकी और दफ्तरी कार्यवाहियों के पीछे जाने के बजाय, प्रभावी और तत्काल हस्तक्षेप करते हुए अपनी संवैधानिक ज़िम्मेदारी को निभाएं।

बीजेपी की केंद्रीय एवं राज्य सरकारें तत्काल रुप से पुलिस के अत्याचार और अन्य दमनकारी कार्यवाहियों को रोकें, तमाम झूठे मुकदमों को वापस लें, हिरासत में लिए गए सभी लोगों को रिहा करें और सीएए एवं एनआरसी के खिलाफ होने वाले लोकतांत्रिक प्रदर्शनों में रुकावट डालना बंद करें।

देर से ही सही, बीजेपी सरकार को चाहिए कि वह अपनी गलती का एहसास करते हुए, इस नए नागरिकता संशोधन कानून को छोड़े और देश भर में एनआरसी लागू करने के अपने मंसूबे को वापस ले।

अंत में, हम सभी नागरिकों और इन प्रदर्शनों का नेतृत्व करने वाले सभी सिविल सोसाइटी समूहों से अपील करते हैं कि वे इस बात का पूरा ध्यान रखें कि उनका प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण हो और चाहे भावना में बहकर या दूसरों की सोची–समझी दख़लंदाजी के कारण वह कभी भी हिंसा का रुप ना लेने पाए।

प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित प्रतिनिधि:

डॉ० तस्लीम अहमद रहमानी (राष्ट्रीय सचिव, एसडीपीआई)
सैयद क़ासिम रसूल इलियास (राष्ट्रीय अध्यक्ष, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया)
प्रकाश राव (लोक राज संगठन)
ए.एस. इस्माईल (एनईसी मेंबर, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया)
एम.एस. सुचारिता (प्रवक्ता, कम्युनिस्ट गदर पार्टी ऑफ इंडिया)
अतीकुर्रहमान (राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, केंपस फ्रंट ऑफ इंडिया)
प्रोफेसर नंदिता नारायण (डीयूटीए)
परवेज़ अहमद (दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया)